कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/4679/जिपं/अधी/स्था/2017-18 जगदलपुर, दिनांक 5/07/2017

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/806/पंग्राविवि/22/2011 दिनांक 06 अप्रेल, 2011 एवं पत्र क्रमांक/2786/वि-7/मगाराग्रारोगायो/स्था/2013 दिनांक 27 सितम्बर, 2013 एवं म0गां0रा0ग्रा0रो0गा0परिषद, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/1464/वि-7/ MGNREGA/2015 रायपुर दिनांक 13-05-2015 एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/4234/पंग्राविवि/22/2015, दिनांक 15/12/2015 में दिये गये निर्देशानुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्व जिला पंचायत बस्तर जिला जगदलपुर में रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 18/07/2017 को 05.30 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा ।

बस्तर जिले के लिये विज्ञापित रिक्त पदों का विवरण:- (बैकलॉग)

क्र	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महि	विक	भू०सै०	योग	मुक्त	महि	विक	भू०सै०	योग	मुक्त	महि	विक	भू०सै०	योग	मुक्त	महि	विक	भू०सै०	योग	मुक्त	महि	विक	भू०सै०	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	कार्यक्रम अधिकारी (संविदा)	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	3
2	सहायक प्रोगामर (संविदा)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
3	तकनीकी सहायक (संविदा)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	8	-	5	3	-	8
	योग	12	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	3	-	10	2	7	3	-	12

आयु :-

आयु 01.07.2017 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए । अधिकतम आयु सीमा के लिये छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश इन नियुक्तियों के लिये भी लागू होंगी

शैक्षणिक योग्यता एवं एक मुश्त मासिक वेतन:-

1- कार्यक्रम अधिकारी (संविदा)- प्रथम श्रेणी में एम0बी0ए0/बी0ई0/गणित अथवा भौतिकी विषय में स्नातकोत्त्र। मासिक संविदा वेतन रूपये 23,086/- एक मुश्त ।

2- सहायक प्रोगामर (संविदा)- कम्प्यूटर साईंस/आई0टी विषय मे बी0ई0/बी0टेक,एम0सी0ए0/एम0सी0एम0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साईंस/आई0टी0) । मासिक संविदा वेतन रूपये 20,342/- एक मुश्त ।

3- तकनीकी सहायक (संविदा)- बी0ई/बी0टेक(सिविल/कृषि अभियांत्रिकी), पोलीटेकनिक डिप्लोमा (सिविल ब्रांच से), बी0ई0/पोलीटेकनिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग (किसी भी ब्रांच से), एम0एस0सी0 (भौतिक/गणित), बी0एस0सी0 (गणित) मासिक संविदा वेतन रूपये 18,900/- एक मुश्त।

चयन प्रक्रिया:-

1- कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) के लिए मेरिट अंकों का निर्धारण :- उपरोक्त पदों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये 70 अंक । कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 15 अंक। उक्त पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के योग्यताधारी मूल निवासी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे ।

2- सहायक प्रोगामर (संविदा) के लिए मेरिट अंको का निर्धारण :- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुये 45 अंक । कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंको के आधार पर 100 अंको का Weightage देते हुये 40 अंक । उक्त पद के लिए बस्तर जिले के योग्यताधारी मूल निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे । प्राथमिकता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

3- तकनीकी सहायक (संविदा) के लिए मेरिट अंको का निर्धारण :- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुये 70 अंक । कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंको के आधार पर 100 अंको का Weightage देते हुये 15 अंक । उक्त पद के लिए बस्तर जिले के योग्यताधारी मूल निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे । प्राथमिकता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

अनुभव के लिये अंकों का निर्धारण:- शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं मे कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव-5 अंक। 5 वर्ष तक का अनुभव-10 अंक एवं 05 वर्ष से अधिक का अनुभव के लिये 15 अंक निर्धारित है। अनुभव का लाभ लेने के लिये नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नही होगा।

अन्य शर्ते :-

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पता - आवेदक अपना आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर जिला, जगदलपुर (छ.ग.) के पद नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

- संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तो के अधीन होगी ।
- निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा तदउपरान्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:5 के मान से कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जावेगा।
- उच्चतर योग्यता के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।

Scanned by CamScanner

- चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसके आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।
- आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 9X4'' साईज का दो लिफाफे जिस पर 40 एवं 40 रूपये का डाक टिकट चस्पा हो, संलग्न करना अनिवार्य है ।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों को स्वयं के द्वारा सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता पृथक से नही लिया जावेगा।
- छ0ग0 के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
- आरक्षण का लाभ लेने के लिए उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
- उपरोक्तानुसार एक मुश्त एकजाई वेतन देय होगा । इस वेतन पर विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर मासिक संविदा वेतन देय होगा।
- यह नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष के लिये होगी। नेट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा ।

विज्ञापित पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, अथवा निरस्त भी किया जा सकता है ।

संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद का निराकरण नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, MGNREGA जिला बस्तर, जगदलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर या www.zpbastar.cgpanchayat.gov.in पर देखी जा सकती है ।

9/7/17

कलेक्टर
जिला बस्तर

Scanned by CamScanner

_ म0गां0रा0ग्रा0रो0गां0योजनान्तर्गत जिला पंचायत बस्तर द्वारा विज्ञप्ति संविदा पदों के लिये आवेदन पत्र वर्ष 2017

आवेदक नवीनतम पासपोर्ट फोटो चस्पा करें।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर
जगदलपुर

आवेदित पद का नाम :–...

1 आवेदक का पूरा नाम : ....

2 पिता / पति का नाम : ....

3 जाति (अना0 / अपिव / अजा / अजजा) : ....लिंग :– महिला / पुरूष...................

4 जन्म तिथि : ..../................./.................

5 दिनांक 01 / 07 / 2017 को आयु : दिन........../माह.........../वर्ष...........

6 क्या आप विकलांग है। यदि हॉं तो विकलांगता का प्रकार (अस्थि / दृष्टि / बधिर) एवं प्रतिशत लिखें। : हॉं / नही (.............) प्रकार (..................) प्रतिशत (..........)

7 आवेदक का वर्तमान पता (निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।) : ....
....
....

8 आवेदक का स्थायी पता ((निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।) : ....
....
....

9 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र : ....

10 **शैक्षणिक योग्यता:–**

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि0वि0 का नाम	वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Scanned by CamScanner

11 क्या आवेदक भू0सैनिक है? हॉ/नही : ....
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

12 अनुभवः– ग्रामीण विकास विभाग में समतुल्य पदों पर कार्य का अनुभव ही मान्य होगा।

क्रमांक	संस्था का नाम	पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)

टीपः– यदि वर्तमान में कॉलम नं 12 में दर्शित पदों पर कार्यरत है, तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुभव का लाभ लेने के लिये नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नही होगा।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

(कुल सहपत्रों की संख्या ....)

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

//घोषणा//

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। यदि उपर्युक्त विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है तो नियुक्ति के पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे सेवा समाप्त किये जाने अथवा किसी भी दण्ड जो वह उचित समझे के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner